

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 4<sup>th</sup> November, 2011

सा.का.नि. (अ) - केन्द्र सरकार, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. (1) इन नियमों को सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2009 के नियम, 24 के उप नियम (4) के बाद निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, नामतः-

"बशर्ते कि यदि किसी सीमित देयता भागीदारी का वित्तीय वर्ष दिनांक 31.03.2011 को समाप्त होता है, वह लेखा एवं ऋण शोधन क्षमता विवरण से संबंधित वित्त वर्ष के छः माह की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र 8 में लेखा एवं ऋण शोधन क्षमता विवरण दर्ज करेगी।"

फा.सं. 2/17/2011-सीएल-V

यू.सी. नाहटा

(यू.सी. नाहटा)

निदेशक (निरीक्षण एवं जांच)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB  
SECTION (i) ]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 4<sup>th</sup> November, 2011

G.S.R. (E).-In exercise of the powers conferred by sub -sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009 namely:-

1. (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2011.  
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
  
2. After sub-rule (4) of rule 24 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided that if a limited liability partnership has closed the financial year on the 31<sup>st</sup> March, 2011, it shall file the Statement of Account and Solvency in Form 8 with the Registrar, within a period of sixty days from the end of six months of the financial year to which the Statement of Account and Solvency relates”.

(F.No. 2/17/2011- CL V)



(U. C. Nahta)

Director ( Inspection and Investigation)